रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102023-249364
CG-DL-E-12102023-249364

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2023/आश्विन 20, 1945**
No. 584]	**NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945**

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि.737(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में,—

(i) नियम 44 के, खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iक) लिथियम के संबंध में, एक माह में लंदन मेटल एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित लिथियम हाइड्रॉक्साइड मोनोहाइड्रेट या लिथियम के अन्य उपयुक्त यौगिक के साप्ताहिक मूल्यों के आधार पर परिकलित समतुल्य लिथियम धातु मूल्यों को मूल्य प्राप्त होने वाली मुद्रा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी के प्रकाशन के दिन की संदर्भित दर से गुणा किया जाएगा।";

(ii) नियम 45 के, उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:—

"(5)(क) भारतीय खान ब्यूरो, दुर्लभ मृदा ऑक्साइड के औसत विक्रय मूल्य को उस माह के लिए मूल्य प्राप्त होने वाली मुद्रा के लिए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) या अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित मूल्यों के आधार पर दुर्लभ मृदा ऑक्साइड के मूल्य को भारतीय रिज़र्व बैंक की औसत संदर्भित दर से गुणा करके रुपये में प्रकाशित करेगा और दुर्लभ मृदा ऑक्साइड का औसत विक्रय मूल्य मासिक आधार पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पिछले उपलब्ध कैलेंडर वर्ष के लिए दुर्लभ मृदा ऑक्साइड के मूल्य के आधार पर औसत विक्रय मूल्य प्रकाशित किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार दुर्लभ मृदायुक्त अयस्क के औसत विक्रय मूल्य निम्नलिखित तरीके से निर्धारित करेगी, अर्थात्:—

दुर्लभ मृदा तत्व युक्त अयस्क का औसत विक्रय मूल्य	=	(अयस्क में अंतर्विष्ट प्रत्येक दुर्लभ मृदा आक्साइड का प्रतिशत गुणा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उस दुर्लभ मृदा आक्साइड का औसत प्रतिशत) का योग।

(6) भारतीय खान ब्यूरो, पिछले उपलब्ध कैलेंडर वर्ष के लिए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) या अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित फेरो-निओबियम के ऐसे मूल्यों को निम्नलिखित गुणा करके निओबियम के औसत विक्रय मूल्य को प्रकाशित करेगा, अर्थात्:—

(i) उक्त कैलेंडर वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की औसत संदर्भित दर, और

(ii) 1.59 का रूपांतरण गुणक।"।

[फा. सं. एम.VI-16/85/2022-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न) रियायत नियम, 2016 भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यक सा.का.नि. 279(अ) तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया और संख्याक सा.का.नि. 205(अ) तारीख 15 मार्च, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2023

G.S.R. 737(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016,—

(i) in rule 44, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ia) In respect of Lithium, the equivalent lithium metal prices calculated on the basis of the weekly prices of lithium hydroxide monohydrate or other appropriate compound of lithium published by London Metal Exchange in a month shall be multiplied by the reference rate for the day of publication of the Reserve Bank of India or any agency authorised by the Reserve Bank of India, for the currency in which the price is obtained.";

(ii) in rule 45, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(5)(a) The Indian Bureau of Mines shall publish average sale price of Rare Earth Oxide in Indian Rupees on the basis of prices published by United States Geological Survey (USGS) or other reputed publications by multiplying the price of Rare Earth Oxide by average reference rate of Reserve Bank of India for the month for the currency in which the price is obtained and in case the price of Rare Earth Oxide is not available on monthly basis, the average sale price shall be published on the basis of price of Rare Earth Oxide for the last available calendar year.

(b) The State Government shall arrive at average sale price of the ore containing Rare Earth Elements in the following manner, namely:—

Average sale price of the ore containing Rare Earth Elements	=	Sum of (percentage of individual rare earth oxide contained in the ore ***multiplied by*** average sale price of that rare earth oxide published by Indian Bureau of Mines).

(6) The Indian Bureau of Mines shall publish average sale price of Niobium in Indian Rupees on the basis of prices published by United States Geological Survey (USGS) or other reputed publications for Ferro-Niobium for the last available calendar year by multiplying such price with the following, namely:—

(i) average reference rate of Reserve Bank of India for the said calendar year, and

(ii) the conversion factor of 1.59.".

[F. No. M.VI-16/85/2022-Mines VI]

DR. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:- The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 279(E), dated the 4th March, 2016 and lastly amended *vide* number G.S.R. 205(E), dated the 15th March, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.12 22:22:39 +05'30'